Result Mitra Daily Magazine

IRDA decisions on policy holders

IRDA-

- **Insurance Regulatory and devlopment Authority** यानि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य बीमाधारकों की हितों ही रक्षा करना, बीमा क्षेत्र का विनियमन करना तथा संबंधित मामलों पर कार्य करना है।
- यह एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा की गई थी।
- यह उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण भी करता है।

संगठनात्मक संरचना-

- इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य एवं 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं वे पुर्ननियुक्ति के पात्र होते हैं।
- इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल अपन सकt है, सरकार को भी 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
- सदस्य कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उन्हें सरकार को न्यूनतम 3 महीने पूर्व देनी होती है।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में IRDA ने पॉलिसीधारकों को अपने पॉलिसी (बीमा की पॉलिसी) रद्द करने एवं रिफंड पाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किया है।
- IRDA ने कहा कि सामान्य बीमा यानि General Insurance उत्पाद के तहत रिपोर्ट किया गया कोई भी नुकसान, जो मोटर बीमा के मामले में 50,000 या उससे अधिक तथा मोटर बीमा के अलावा अन्य मामले में 1 लाख रूपये से अधिक का हो, उसका अनिवार्य रूप से पंजीकृत सर्वेक्षक एवं नुकसान का मूल्यांकन करने वाले द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- IRDA ने बीमा धारकों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कहा कि खुदरा बीमाधारक (Retail Policy holders) बीमाकर्ता को बीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय सूचित करके अपने को रद्द करवा सकता है और शेष बची अवधि के लिए अपना रिफंड वापस पा सकता है।
- ध्यातव्य हो कि साधारण बीमा में निर्धारित अवधि के लिए बीमा की राशि वापस प्राप्त कर सकता है।

Result Mitra

- पॉलिसीधारक को अपनी पॉलिसी रद्द करवाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे मामलों में बीमा बीमाधारक को कम-से-कम 7 दिनों का नोटिस देकर स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर बीमा रद्द करवा सकता है।
- पॉलिसी की प्रीमियम रिफंड के मामले में IRDA ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा 1 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीमा में किया जाना चाहिए।
- IRDA ने कहा कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी बीमाधारक के दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। ग्राहकों को केवल ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जो प्रत्यक्षतः दावे के निपटान से संबंधित हैं।
- ऐसे दस्तावेजों में दावा फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस FIR, फायर ब्रिग्रेड रिपोर्ट, अनट्रेस्ड रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, खाता बिल, मरम्मत बिल आदि शामिल हैं।
- IRDA ने कहा कि प्रत्येक पॉलिसी के साथ ग्राहक को एक सूचना पत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें पॉलिसी से संबंधित विशेषताएँ जैसे- कवरेज का दायरा, Add-on, बीमित राशि का आधार, कटौती, विशेष शर्तें, दावा प्रक्रिया आदि शामिल है।
- IRDA ने कहा कि वाहन के बीमित व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य (IVD- Insured's Declare Value) की बीमित राशि माना जाएगा एवं इसे प्रत्येक बीमित वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि के प्रारम्भ में तय किया जायेगा।
- IRDA कहा कि सिवाय दोहरे बीमा या कुल नुकसान के मामले के किसी भी परिस्थिति में बीमाकर्ता वैधानिक मोटर थर्ड पार्टी देयता (Liablity) बीमा को रद्द नहीं कर सकता है।

सामान्य बीमा vs जीवन बीमा-

सामान्य बीमा-

- यह किसी प्रकार का बचत नहीं है।
- इसमें प्रीमियम की राशि एकपुश्त प्रदान करने के साथ वार्षिक अनुबंध किया जाता है।
- चोरी, आगजनी, दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित मामले में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

जीवन बीमा-

- किसी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा कवर देता है।
- यह बीमा बचत का एक प्रकार है, जो भविष्य में काम आता है।
- इसमें किश्त (Installments) के विकल्प के साथ दीर्घकालीन अनुबंध होता है।
- अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति (Nominee) को बीमित राशि का भुगतान किया जाता है।

Result Mitra